प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.05.2025

साइबर सेल थाना मसूरी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 35,000 रु0 की धनराशि वापस करायी गई।

आज दिनांक 22.05.2025 को साइबर सेल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदिका सोनिया पुत्र रघुवीर निवासी- बड़का आरिफ़पुर थाना मसूरी गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 35 हजार रूपये को आवेदिका को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना मसूरी गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से सोनिया पुत्री रघुवीर निवासी- बड़का आरिफपुर थाना मसूरी गाजियाबाद के साथ 35 हजार रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 22.05.2025 को साइबर फ्रॉड की धनराशी को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदिका द्वारा थाना मसूरी पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी साइबर सेल टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.05.2025 को वादी द्वारा थाना अंकुर विहार पर तहरीर दी गई कि मैने अपनी बेटी की शादी जून 2017 में रिंकू खान पुत्र इशाक के साथ की थी। मेरी बेटी को उसके ससुरालवालों द्वारा प्रताडित किया जाता था तथा मेरी बेटी को मारते-पीटते थे। दिनांक 19.05.2025 को समय करीब 11:24 मिनट पर मेरी बेटी ने अपने भाई मोनिस को फोन करके बताया कि मेरे सास, ससुर, जेठ, जिठानी, ननंद मिलकर मेरे साथ मारपीट कर रहे है और कह रहे हैं कि आज हम तुझे जान से मार डालेगे। उसके बाद सुबह करीब 5:20 मिनट पर मेरे बेटे मोनिस को फोन पर मेरे दामाद ने बताया कि तुम्हारी बहन की मृत्यु हो चुकी है। उपरोक्त व्यक्तियो ने मेरी बेटी को जान से मार दिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 103(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। मुकदमा उपरोक्त की विवेचनात्मक कार्यवाही व पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या जैसी कोई चोट नही पाये जाने एवं फांसी लगाने के साक्ष्य पाये गये, जिनके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) बीएनएस का लोप कर धारा 108 बीएनएस की वृद्धि की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 22.05.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. इशाक मौहम्मद पुत्र मुनीर खां नि0 गली नं0 01 समाधी वाली गली अंजना विहार थाना अंकुर विहार जिला गाजियाबाद उम्र करीब 59 वर्ष 2. इसरार पुत्र इशाक मौहम्मद नि0 गली नं0 01 समाधी वाली गली अंजना विहार थाना अंकुर विहार जिला गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को नसबन्दी तिराहा थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि मृतका और हम एक ही परिवार के सदस्य है। मृतका मेरे छोटे भाई की पत्नी थी। मृतका अपने पति के साथ अलग मकान में रहती थी और हम सभी अलग रहते थे। मृतका और हमारे बीच में आपसी बटवारें को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके कारण कई बार पहले भी झगडा हुआ है। दिनांक 19.05.25 की रात को भी हम लोग मृतका के घर पर गये थे और मृतका के साथ झगडा भी किया था। उस समय मेरा भाई और मृतका का पति घर पर मौजूद नही था। झगडे के बाद हम लोग वापस अपने घर आ गये थे। इसी झगडे और पारिवारिक कलह के कारण मृतका ने गले में चुन्नी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. इशाक मौहम्मद पुत्र मुनीर खां नि0 गली नं0 01 समाधी वाली गली अंजना विहार थाना अंकुर विहार जिला गाजियाबाद उम्र करीब 59 वर्ष
2. इसरार पुत्र इशाक मौहम्मद नि0 गली नं0 01 समाधी वाली गली अंजना विहार थाना अंकुर विहार जिला गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

1. वहीदन पत्नी इशाक मौहम्मद नि0 गली नं0 01 समाधी वाली गली अंजना विहार थाना अंकुर विहार जिला गाजियाबाद
2. चांदनी पत्नी इसरार नि0 गली नं0 01 समाधी वाली गली अंजना विहार थाना अंकुर विहार जिला गाजियाबाद
3. रुबीना पुत्री इशाक मौहम्मद नि0 गली नं0 01 समाधी वाली गली अंजना विहार थाना अंकुर विहार जिला गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उक्त प्रकरण में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा आस्था हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने वाले 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 19.05.2025 को आवेदिका डॉ0 गरिमा सिंह राजौरा (संचालक आस्था हॉस्पिटल) के द्वारा एक तहरीर जिसमें दिनांक 16.05.2025 को एक मरीज संगीता पत्नी कमल सिंह पेट दर्द की समस्या को लेकर आयी थी। जिसको हॉस्पिटल में भर्ती कर उसका ईलाज किया जा रहा था। मरीज के रिश्तेदारों द्वारा दिनांक 18.05.2025 को शराब पीकर हॉस्पिटल में आये और स्टाफ के साथ गाली गलौज कर मारपीट एवं बदतमीजी करने के सम्बन्ध में दी गई। जिसमें आवेदिका की तहरीर पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण:- अभियोग में त्वरित कार्यवाही करते आज दिनांक 22.05.25 को हॉस्पिटल में स्टाफ के साथ गाली गलौज , मारपीट एवं बदतमीजी करने वाले 04 अभियुक्त 1. कमल सिंह पुत्र हरीपाल सिह नि0 सर्वोदय नगर थाना विजय नगर गाजियाबाद 2. मनोज कुमार पुत्र बालकराम नि0 11 प्रताप विहार थाना विजय नगर गाजियाबाद 3. विवेक शर्मा पुत्र ब्रजपाल नि0 प्रताप विहार थाना विजय नगर गाजियाबाद 4. पल्लव चौहान पुत्र दिनेश कुमार नि0 प्रताप विहार थाना विजय नगर गाजियाबाद को प्रतापविहार से गिरफ्तार किया गया तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को पीसीआर पर लेकर हत्या के प्रयास में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 05.04.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि वादी के पुत्र विकास को जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर तमंचे की बट से वार करना तथा पेट में गोली मारकर गंभीर रुप से घायल कर देना तथा उसके साथ मारपीट करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 109/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त अभियोग मे नामित अभियुक्त अभियुक्त जयकरण पुत्र कृपाल उर्फ बरक्कत निवासी लाल क्वाटर्स थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को पूर्व मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्त विक्रम पुत्र कृपाल उर्फ बरक्कत निवासी लाल क्वाटर्स थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को गिरफ्तार करने हेतु अथव प्रयास किये गये जिसके चलते अभियुक्त विक्रम द्वारा अपने पूर्व के अभियोग मे माननीय न्यायालय से अपनी जमानत तुडवाकर गौतमबुद्धनगर जेल चला गया था।

आज दिनांक 22.05.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना करने वाले अभियुक्त विक्रम पुत्र कृपाल उर्फ बरक्कत निवासी लाल क्वाटर्स थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को पीसीआर पर लेकर उसकी निशानदेही पर हत्या के प्रयास में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर रिछपाल गढी की पुलिया के पास थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से बरामद किया गया अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि पीडित विकास मेरा जानकार था तथा मेरा उससे पैसों का लेन देन था, उसके द्वारा मुझ पर बार बार पैसों का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते गुस्से में आकर मेरे व मेरे भाई द्वारा उसको जान से मारने की नीयत से उस पर तमंचे से फायरिंग कर दी थी तथा सिर पर तमंचे की बट से वार किया था, आज मेरी निशानदेही पर जो तमंचा बरामद हुआ है यह वही तमंचा है, जिससे मैंने विकास पर गोली चलायी थी।

अभियुक्त का नाम व पता–

विक्रम पुत्र कृपाल उर्फ बरक्कत निवासी लाल क्वाटर्स थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे हत्या के प्रयास से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना विजयनगर पर लूट के सम्बन्ध मे 04 अभियोग व 01 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग, थाना सेक्टर 49 गौतमबुद्धनगर में लूट का 01 अभियोग, थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर मे लूट/चोरी के 04 अभियोग पंजीकृत है (कुल अभियोग 11) , अभियुक्त थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक का हिस्ट्रीशीटर है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।